

कार्यालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

रतनलाल अग्रवाल

बनाम्


सावित्री देवी वगैरह

विविध वाद संख्या.....०४...../2021-22

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आवेदक रतनलाल अग्रवाल पिता स्व० रामनिवास अग्रवाल साकिन- सरिया, थाना-सरिया, जिला- गिरिडीह द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से आवेदन समर्पित कर मौजा- मंदरामों खाता नं०- 17/410, प्लॉट नं०- 2170 कुल रकवा 12डी० में अंचल अधिकारी, सरिया द्वारा दाखिल खारिज वाद संख्या 347/2021-22, 341/2021-22, 27/2021-22, 342/2021-22, 343/2021-22, 345/2021-22 एवं 346/2021-22 में पारित आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया गया है। चूँकि उक्त नामान्तरण अवैध तरीके से करा लिया गया है।

अतः उभय पक्षों को नोटिस नोटिस निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 5/01/22 को रखें।


भूमि सुधार उपसमाहर्ता
बगोदर-सरिया।

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
5.1.22	<p>आमलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष कचालन हाकिर। द्वितीय पक्ष उषण आमलेख दिनांक 02.02.2022 रखें।</p>	
02.2.22	<p>उमम पक्ष कचालन हाकिर। 10/2/22</p>	
15/02/22	<p>आमलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष के द्वारा निर्धारित निधि से पहले पुनर्वाई का आग्रह किया गया है। द्वितीय पक्ष के विडान अधिवक्ता की सहमत है। अतः दिनांक 18/02/22 को पुनर्वाई हेतु रखें।</p>	<p>Deepak Kumar 15/02/22</p> <p>15/2/22</p>
18/2/22	<p>प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष अनुप 18/2/22</p>	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
<u>23.2.22</u>	प्रथम पक्ष वकालत हाजिर। द्वितीय पक्ष उप०। द्वितीय पक्ष का पत्रांक 4/2/22। आमलख दिनांक 9.3.2022 को रखें।	
<u>9.3.22</u>	प्रथम पक्ष वकालत हाजिर। द्वितीय पक्ष उप०। प्रथम पक्ष के द्वारा इस वाद को वापस लेने हेतु आग्रह किया गया है जिसे स्वीकार करने हेतु वाद की कार्यवाही को समाप्त किया जाता है। १/३	